यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **09/2019** से माह **12/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **22.01.2021** से **28.01.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संदीप चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **07.09.2019** से **19.09.2019** तक श्री डी. एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **01/2016** से **08/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **09/2019** से **12/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में देहरादून जिले के डोईवाला एवं सहसपुर विकास खण्ड तथा रायपुर विकास खण्ड का आंशिक क्षेत्र शामिल है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	12.031	110.569	512.912	508.053	16.890	2018.528	1579.691	549.406
2019-20	16.890	549.406	456.074	444.343	28.621	1653.747	1598.440	604.713
2020-21 (upto 12/2020)	28.621	604.713	349.089	352.879	24.831	718.478	1077.285	245.906

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2021-21 (Upto 12/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NRDWP	33.733	826.806	666.780	193.759	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Jal Jeevan Mission	0.000	0.000	0.000	193.759	622.208	815.967	0.000	395.530	395.530

(` लाख में)

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"सी"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक→मुख्य अभियन्ता→ अधीक्षण अभियन्ता→ अधिशासी अभियन्ता**।

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **05/2020** (व्यय) तथा **10/2020** (आय) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप योजना अपूर्ण रहना।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर की पित्थूवाला तोक समूह पेयजल योजना से संबन्धित प्राक्कलन पर टी°ए°सी° द्वारा परीक्षणोपरान्त ₹ 222.25 लाख को आधार मानते हुए ₹ 260.03 लाख (सेंटेज सहित) की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि शासन द्वारा वर्णित योजना हेतु वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹ 260.03 लाख अवमुक्त किए गए थे जिन के सापेक्ष लेखापरीक्षा सम्पादन (जनवरी 2021) के समय तक मात्र ₹ 217.78 लाख का व्यय कार्य पर भारित किया जा चुका था। योजना 20 वर्ष हेतु डिज़ाइन की गई थी जिसमे आधार वर्ष (Base Year) 2015 में लाभान्वित बस्तियों की जनसंख्या 2818, निजी कनेक्शन 508 तथा संभावित वार्षिक आय (राजस्व) ₹ 738240/-अनुमानित थी।

योजना संबन्धित प्राक्कलन में विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली का बिछान, पम्प हाउस, राइज़िंग मेन, उच्च जलाशय (क्षमता 200 कि.ली. तथा 20 मी. स्टेजिंग), बाउंड्री वाल, स्टाफ क़्वाटर आदि निर्माण कार्य प्रावधानित किए गए थे। इस के अतिरिक्त प्राक्कलन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि में बिजली व यांत्रिक कार्यों (E&M works) हेतु ₹ 60.27 लाख का प्रावधान था जो यांत्रिक शाखा, देहरादून को E&M works के निष्पादन हेतु प्रेषित की जानी थी।
कार्य के निष्पादन हेतु तीन अनुबंध गठित किए गए:

(₹ लाख में)

अनुबंध संख्या	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	अनुबंधित लागत	कुल भुगतान (Total Value of work)
06/अधी.अभि./16-17	दिसम्बर 2016	सितम्बर 2017	92.30	78.55
46/अधि.अभि./16-17	अप्रैल 2018	अक्टूबर 2018	51.32	40.30
15/अधि.अभि./18-19	जनवरी 2019	मई 2019	16.03	2.95

वर्णित अनुबंधों से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में निम्नवर्णित अनियमितताएँ दृष्टिगत हुईं:

1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के अंतर्गत वन विभाग की अनुमति के बिना किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

वर्णित पेयजल योजना हेतु वन विभाग के अंतर्गत 0.03 है° वन भूमि है तथा वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व प्रावधानित कार्यों के निष्पादन हेतु (उच्च जलाशय का निर्माण कार्य को छोड़ कर) एक अनुबंध[1] गठित किया गया। वन भूमि प्रकरण के चलते कार्य बाधित रहा तथा अधूरे कार्य पर अनुबंध का अंतिमीकरण किया गया।

2) इस के उपरांत अधूरे कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से दोबारा, वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व, एक अन्य अनुबंध[2] गठित किया गया। अनुबंधित राशि ₹ 16.03 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 2.95 लाख का कार्य निष्पादित किया गया तथा वन भूमि प्रकरण के अंतर्गत कार्य लेखापरीक्षा के सम्पादन (जनवरी 2021) तक अवरुद्ध पाया गया।

3) उच्च जलाशय का निर्माण कार्य हेतु दिसम्बर 2016 में तीसरा अनुबंध[3] गठित किया गया जिस के अंतर्गत, समाप्ति की निर्धारित तिथि तक भी भूमि उपलब्ध न होने के कारण, कार्य संपादित नहीं किया जा सका। दिसम्बर 2017 में विभाग द्वारा जलाशय की स्टेजिंग 20 मी. के स्थान पर 24 मी. किए जाने का निर्णय लिया गया तथा जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण करने में लगभग 18 माह का विलम्ब हुआ।

4) यांत्रिक शाखा, देहरादून को प्रेषित धनराशि के उपयोग व कार्य पूर्ण किए जाने संबंधी कोई साक्ष्य इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया।

5) योजनांतर्गत निर्माण कार्य सितम्बर 2017 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था परंतु लेखापरीक्षा सम्पादन तक भी वन भूमि हस्तांतरित न हो पाने के कारण कार्य अपूर्ण रहा जिस के कारण योजना से लाभान्वित होने वाली जनता न केवल मिलने वाले लाभ से वंचित रही अपितु राज्य भी ₹ 22.14 लाख के राजस्व (आधार वर्ष 2015 की संभावित आय के अनुसार) से वंचित रहा।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि संबन्धित ग्राम पंचायत (चंद्रबनी खालसा) द्वारा निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई थी जिस के आधार पर अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। उत्तर में आगे बताया गया कि जल संस्थान द्वारा किसी अन्य योजना से संबन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जा रही है जिस के सापेक्ष उनके द्वारा राजस्व की वसूली की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि के मालिकाना हक से संबन्धित दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अनुबंध गठन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस के अतिरिक्त यदि जल संस्थान द्वारा किसी अन्य योजना से संबन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति किया जाना संभव होता तो वर्णित पेयजल योजना को स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं था। किसी अन्य योजना से पेयजल आपूर्ति किए जाने तथा उस के सापेक्ष राजस्व की वसूली के संबंध में इकाई द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

---

[1] अनुबंध संख्या 46/अधि.अभि./16-17
[2] अनुबंध संख्या 15/अधि.अभि./18-19
[3] अनुबंध संख्या 46/अधि.अभि./16-17

अतः न केवल ₹ 22.14 लाख के राजस्व की हानि हुई अपितु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों का उल्लंघन किया गया जिस के फलस्वरूप योजना पर ₹ 217.78 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से तीन वर्षों से अधिक समय के विलम्ब के बाद भी लेखापरीक्षा के सम्पादन तक कार्य अपूर्ण व अवरुद्ध पाया गया।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को ` 3.16 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/VII-1/2018/80-ख/18 दिनांकित 14.02.2018 के द्वारा उपखनिजों की निकासी हेतु निम्नानुसार संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क निर्धारित किए गए हैं:-

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क – रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान – रॉयल्टी का 25 प्रतिशत[4]
(iv) क्षतिपूर्ति – रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षा अवधि (09/2019 से 12/2020) के दौरान सम्पादित कराये गये सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से `**7,52,485**/- की रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में निम्नानुसार जमा कराई गई थी:-

(धनराशि ` में)

क्र.सं.	चालान संख्या	दिनांक	जमा कराई गई रॉयल्टी की धनराशि
01.	248	01.10.2019	55301
02.	088	01.11.2019	9025
03.	12090	01.01.2020	67783
04.	052	03.02.2020	19127
05.	114	05.03.2020	72113
06.	548	06.04.2020	36560
07.	042	06.05.2020	10328
08.	081	04.06.2020	2457
09.	040	08.08.2020	25766
10.	064	09.09.2020	83722
11.	148	08.10.2020	48329
12.	194	03.12.2020	47851
13.	232	14.12.2020	92991
14.	150	14.01.2021	181132
		कुल	**7,52,485**

[4] उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती तो की गई थी परन्तु शासनादेशानुसार उपरोक्त रॉयल्टी पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क `15,050/- तथा 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति `1,12,873/-; इस प्रकार कुल `1,27,923/- की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी।

इसी प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश तथा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान `1,88,121/- की कटौती करके जिला स्तर पर खोले गये जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते[5] में जमा नहीं कराई गई थी।

इकाई द्वारा संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को कुल `3,16,044/- के राजस्व की हानि हुई है जोकि इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती जा रही लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित आदेश उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की गई थीं। इकाई ने आगे बताया कि इस सम्बंध में संबन्धित ठेकेदारों के आगामी बिलों से उक्त धनराशि `3,16,044/- की वसूली कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष/बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि उपरोक्त शासनादेश/नियमावली संबन्धित विभागों को प्रेषित किए गए थे। इकाई द्वारा भुगतान के समय ही उपरोक्त कटौतियाँ न करने के कारण राज्य को समय पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

अतः इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती गई लापरवाही के कारण `3,16,044/- के राजस्व की हानि प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[5] Name of Bank: State Bank of India, A/c Name: District Mineral Foundation Trust Dehradun, A/c No: 37317816381 Branch: Collectorate Compound, Dehradun

भाग II-'ब'

प्रस्तर 2 : कार्य का बीमा न करवाये जाने के कारण संबन्धित ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाना तथा अनियमित कार्य निष्पादन।

उत्तराखण्ड शासन, पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 06/उन्तीस(2)/18-2(69पे.)/2018 दिनांकित 01.01.2019 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की विलासपुर काण्डली पेयजल योजना हेतु `247.08 लाख (सेंटेज सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त योजना की कुल लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Item	Amount (in Lacs)
01.	Sanctioned Cost (for Scheme)	219.14
02.	Sanctioned Cost (for Procurement)	0.49
03.	Centage	27.45
	Total	**247.08**

योजना हेतु स्वीकृत धनराशि `219.63 लाख हेतु `0.69 लाख की धनराशि सामुदायिक अंशदान के द्वारा प्राप्त की जानी थी तथा अवशेष धनराशि `218.94 लाख का वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत किया जाना था। योजना हेतु सेंटेज तथा Escalation in cost of scheme due to time and cost overrun का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त योजना को पूर्ण किए जाने हेतु दिनांक 30.07.2019 को मै. सकलानन्द लखेड़ा, ग्राम कैरवान, करनपुर, देहरादून के साथ अनुबन्ध (02/अधी. अभि./2019-20) गठित कर कार्यादेश जारी कर दिया गया। अनुबन्ध/कार्यादेश के अनुसार `1,93,95,102/- (`1,73,17,055.00+ 12% GST `20,78,048.00) की लागत से कराये जाने वाले उपरोक्त कार्य को दिनांक 01.08.2019 से प्रारम्भ कर 31.01.2021 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया।

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि:-

(i) संबन्धित ठेकेदार/इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य का बीमा नहीं करवाया गया था जबकि अनुबन्ध की Clause 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर, कार्य शुरू होने से Defect Liability Period समाप्त होने तक प्रस्तर संख्या 13.1 में वर्णित मदों के सापेक्ष

बीमा कराकर नियोक्ता को उपलब्ध कराया जाना था। अनुबन्ध की शर्त संख्या 13.3 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार बीमा करवाकर पॉलिसी एवं प्रमाण पत्र नियोक्ता को उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उक्त बीमा नियोक्ता द्वारा स्वयं कराया जाये तथा भुगतान की गई प्रीमियम की धनराशि की ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से कटौती कर ली जाये।

(ii) उपरोक्त योजना हेतु ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत की आंतरिक Bitumen एवं CC सड़कों की कटिंग की गई थी जिसके लिए द्वितीय रनिंग बिल के अनुसार ठेकेदार को `2,93,840/- (Bitumen Road: `2,156.00 + Cement Concrete Road: `2,91,684.00) का भुगतान किया गया था। ग्राम पंचायत की आंतरिक Bitumen एवं CC सड़कों को काटने हेतु संबन्धित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। रोड कटिंग चार्जेज के रूप में संबन्धित विभाग को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि:-

(i) मुख्य अभियन्ता (ग.) पौड़ी के आदेशानुसार `2.0 करोड़ से अधिक के गठित अनुबन्धों पर योजना के इंश्योरेंस कराने हेतु निर्देशित किया गया था। फिर भी ठेकेदारों को इंश्योरेंस कराने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा सूचित किया गया कि इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा इतनी कम धनराशि का इंश्योरेंस नहीं किया जा रहा है। जब इकाई से यह पूछा गया कि ठेकेदार द्वारा इंश्योरेंस न कराने की स्थिति में इकाई द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार स्वयं उक्त कार्य का बीमा करवाकर उसके बिलों से प्रीमियम कटौती क्यों नहीं की गई तो इकाई ने चौंकाने वाले जवाब में बताया कि यह उन पर लागू नहीं है।

(ii) Bitumen एवं CC सड़कों की कटिंग हेतु संबन्धित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और न ही उन्हें सड़कों की मरम्मत हेतु कोई धनराशि दी गई थी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:-

(i) मुख्य अभियन्ता (ग.) पौड़ी द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये थे कि `2.0 करोड़ से अधिक के गठित अनुबन्धों पर ही योजना के इंश्योरेंस कराये जायें। मुख्य अभियन्ता (ग.) पौड़ी द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से केवल अधीनस्थ कार्यालयों से `2.0 करोड़ से अधिक के गठित अनुबन्धों की बीमा सम्बन्धी जानकारी मांगी गई थी। ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य अभियन्ता (ग.) पौड़ी के उक्त निर्देशों की गलत व्याख्या कर लेखापरीक्षा को भ्रमित करने का प्रयास किया गया उक्त कार्य में कार्यरत मजदूरों के जीवन के अलावा कार्य, सामग्री तथा मशीन इत्यादि को जोखिम पर रखा गया। इकाई द्वारा यह कहना कि बीमा कराना उन पर लागू नहीं है तथ्य से परे है क्योंकि अनुबंध के Clouse-13.3 में विभाग को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इकाई द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इकाई के इस कथन कि पुष्टि हो सके कि इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा

उक्त कार्य का बीमा करने से इंकार किया गया था। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करने से मना किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

(ii) बिना अनुमति के सड़क काटना तथा काटने के उपरान्त मरम्मत हेतु कोई धनराशि विभाग को उपलब्ध न कराने से यह स्पष्ट है कि कार्य नियमानुकूल नहीं था। वास्तव में सड़क काटकर पाईप बिछाने की पुष्टि न होने से उक्त कार्य मद का निष्पादन भी संदेहास्पद है।

अतः इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य का बीमा न करवाये जाने के कारण संबन्धित ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाने तथा अनियमित कार्य निष्पादन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर- 3 : अनावश्यक मदों को प्राक्कलन में सम्मिलित किए जाने के कारण शासकीय धन ₹ 10.64 लाख का अवरुद्ध रहना, परिहार्य व्यय ₹ 7.51 लाख, अनियमित कार्य निष्पादन ₹ 3.85 लाख तथा योजना के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप स्थानीय जनता का स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) के अंतर्गत जनपद – देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की गंगोल पंडितवाडी पेयजल योजना (बहुल ग्राम योजना) हेतु रुपये 234.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा मई 2018 में प्रदान की गयी थी। उक्त योजना के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार "M/s Surya Construction, हरिद्वार" के साथ रुपये 176.38 लाख का अनुबंध संख्या – 16/SE/2018-19 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 16.10.2018 एवं 15.04.2020 थी। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखोनुसार उक्त अनुबंध के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक रुपये 130.18 लाख का व्यय कर अनुबंध का अंतिमीकरण किया जा चुका था। उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा (माह – 01/2021) के दौरान निम्नलिखित अनियमित्ताये प्रकाश में आई थी:

I – योजना से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि मुख्य सप्लाई तथा वितरण प्रणाली हेतु पाईप बिछाये जाने कि मद में पाईप की सप्लाई, बिछाया जाना, जोड़ा जाना एवं परीक्षण किया जाना के साथ-साथ पाईप की कार्यस्थल तक ढुलाई भी सम्मिलित[6] थी। परंतु विभाग द्वारा योजना के विस्तृत आगणन में मुख्य सप्लाई तथा वितरण प्रणाली (Supply Main & Distribution System) हेतु मद "Cartage of G.I. Pipe from rail head Dehradun to road head of site store" का अलग से प्रावधान कर शासन से रुपये 10.64 लाख[7] की अधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

[6] (Providing, Supply and Carting, laying, jointing, fixing and testing)

[7]

S. No.	Work	Qty	Rate	Amount
1	Supply Main	1288.43 Qtl	615.00	792386.91
2	Distribution System	441.16 Qtl	615.00	271315.00
Total				1063701.91

आगे जाँच में पाया गया था कि उक्त योजना के सम्पादन हेतु गठित सभी तीनों[8] अनुबंधों में विभाग द्वारा मद "Cartage of G.I. Pipe from rail head Dehradun to road head of site store" के सापेक्ष किसी भी अनुबंध में कोई भी प्रवधान नहीं किया गया था। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट था कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु संबन्धित मद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी परंतु फिर भी विभाग द्वारा उक्त मद को अनावश्यक रूप से प्राक्कलन में सम्मिलित कर रुपये 10.64 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी एवं शासकीय धन को अवरुद्ध किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया था कि उक्त निर्माणस्थल देहरादून रेल हेड से लगभग 25 कि.मी. एवं सड़क मार्ग से लगभग 2.5 कि.मी. पैदल मार्ग होने के कारण उक्त मद को प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया था। यह भी कि योजना के सम्पादन हेतु गठित किसी भी अनुबंध में कोई भी प्रवधान त्रुटिवश नहीं लिया गया था तथा उक्त से विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ था अपितु रुपये 10.64 लाख का लाभ हुआ था।

विभाग का उत्तर स्वयं में ही विरोधात्मक है क्योंकि यदि उक्त निर्माणस्थल देहरादून रेल हेड एवं सड़क मार्ग से दूर था तो योजना के सम्पादन हेतु गठित सभी अनुबंधों में उक्त मद को निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए था। योजना के सम्पादन हेतु गठित किए गए किसी भी अनुबंध में विभाग द्वारा उक्त मद को सम्मिलित नहीं किए जाने से स्पष्ट था कि उक्त योजना के सम्पादन हेतु संबन्धित मद की आवश्यकता ही नहीं थी परंतु फिर भी विभाग द्वारा उक्त मद हेतु आगणन में अलग से प्राविधान कर शासन से रुपये 10.64 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर शासकीय धन को बिना उपयोग किए अवरुद्ध रखा गया था। यह भी कि विभाग द्वारा उपरोक्त मद के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत करा कर उपयोग नहीं किए जाने को विभाग का लाभ बताया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

II - उपरोक्त अनुबंध के प्रावधानों[9] के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा कराया जाना था तथा ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा नहीं कराये जाने की स्थिति में कार्य का बीमा कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग का था। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया था कि न तो ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा कराया गया था और न ही विभाग द्वारा कार्य का बीमा कराया गया था। आगे जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत रु 8500.00 की लागत से एक Intake Chamber का निर्माण कराया गया था जोकि अतिवृष्टि के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। यदि विभाग द्वारा कार्य का बीमा कराया गया होता तो बीमा क्लेम की धनराशि से Intake Chamber का पुन: निर्माण कराया जा सकता था परंतु बीमा न कराये जाने के कारण शाखा द्वारा Intake Chamber का निर्माण

[8] अनुबंध संख्या – 16/SE/2018-19, 15/EE/JJM/2019-20 एवं 56/EE/JJM/2020-21
[9] अनुभाग – IV (GCC) के बिन्दु- 13

एक अन्य अनुबंध[10] के अंतर्गत रु 12,771.00 की लागत से कराया जा रहा था। विभागीय लापरवाही के कारण राजकोष को रु 12771.00 की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) पौड़ी के आदेश अनुसार रु 2.00 करोड़ से अधिक के गठित अनुबंधों पर योजना का बीमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु फिर भी ठेकेदारों को बीमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। ठेकेदार द्वारा बीमा कंपनी से संपर्क किया गया था परंतु ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा करने से मना कर दिया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनाँक – 11.06.2019 के माध्यम से केवल अधीनस्थ शाखाओं से दो करोड़ से अधिक की योजनाओं पर किए गए बीमा से संबन्धित सूचना माँगी गयी थी तथा जिन अनुबंधों पर बीमा संबंधी कार्यवाही नहीं की गयी थी का संदर्भ एवं कारण पूछते हुए बीमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। शाखा द्वारा उपरोक्त पत्र का संदर्भ देकर केवल लेखापरीक्षा को भ्रमित करने का प्रयास किया गया था तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरान्त भी शाखा स्तर से बीमा संबंधी कार्यवाही न किया जाना शासकीय कार्यों के प्रति विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। यह भी कि शाखा द्वारा ठेकेदारों को बीमा कराने हेतु निर्देशित किए जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

III – विभाग द्वारा उपरोक्त योजना के स्वीकृत प्राक्कलन की सभी मदों के सम्पादन हेतु अनुबंध संख्या - 16/SE/2018-19 गठित किया गया था जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा सभी अनुबंधित मदों को पूर्ण रूप से संपादित कराते हुए कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए था। परंतु जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा उक्त अनुबंधित 12 में से 3 मदों के सापेक्ष कोई भी कार्य संपादित नहीं कराया गया था तथा 7 मदों के सापेक्ष अनुबंधित मात्राओं से कम कार्य संपादित कराये गए थे। आगे जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा अनुबंध संख्या – 16/SE/2018-19 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक अन्य अनुबंध संख्या- 15/EE/JJM/2019-20 का गठन उपरोक्त अनुबंध के समाप्त होने से पूर्व ही किया जा चुका था जिसके अंतर्गत अनुबंध संख्या – 16/SE/2018-19 के शेष कार्यों को अधिक दरों पर संपादित कराते हुए रुपये 3.64 लाख का अधिक व्यय (अनुलग्नक – I) किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि दो मदों[11] हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराये गए थे तथा शेष मदों के कार्य निर्माणस्थल पर आवश्यकतानुसार ही कराये गए थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल से संयोजन देने के कारण जलस्तंभ से संबन्धित कार्य संपादित नहीं कराये गए थे तथा अनुबंधित ठेकेदार द्वारा संयोजन का कार्य बाज़ार दर से कम दर पर नहीं किए जाने के कारण प्रथम निविदादाता को कार्य आवंटित

[10] अनुबंध संख्या- 56/EE/JJM/2020-21

[11] SCC cum roughening filter & CWR

किए गए थे। यह भी कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाऊन एवं लेबर की समस्या उत्पन्न होने के कारण ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के स्वीकृत प्राक्कलन में केवल 10 प्रतिशत घरों (केवल 43 परिवार) को ही जलस्तंभ से लाभान्वित कराया कराया जाना था। यदि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों को नल से जोड़ा भी जाना था तो भी शाखा द्वारा अधिक से अधिक दरों को अनुबंध संख्या - 16/SE/2018-19 के अंतर्गत निम्न दरों पर संपादित कराते हुए केवल शेष घरों की वितरण प्रणाली हेतु अनुबंध किया जाना चाहिए था। परंतु शाखा द्वारा सात भिन्न-भिन्न मदों हेतु अनुबंध गठित कर एवं कार्य संपादित कर रुपये 3.64 लाख का अधिक व्यय किया गया था। यह भी कि विभाग द्वारा अनुबंध संख्या - 16/SE/2018-19 के सापेक्ष ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु 4 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा समय से कार्य को पूर्ण नहीं किया गया था परंतु फिर भी विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करते हुए अनुबंध का अंतिमीकरण कर ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया था।

IV – आगे जाँच में पाया गया था कि शाखा द्वारा अनुबंध संख्या - 16/SE/2018-19 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक अन्य अनुबंध संख्या- 56/EE/JJM/2020-21 का गठन दिनाँक -06.11.2020 को किया गया था जिसके अंतर्गत अनुबंध संख्या – 16/SE/2018-19 के शेष कार्यों को अधिक दरों पर संपादित कराया जा रहा था जिसके कारण रुपये 3.74 लाख का अधिक व्यय (अनुलग्नक-II) होने की संभावना थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि CWR हेतु भूमि विलम्ब से उपलब्ध होने के कारण अनुबंधित ठेकेदार द्वारा पूर्व में स्वीकृत दरों पर कार्य करने से मना कर दिया गया था अत: स्वीकृत दरों पर तुलनात्मक विवरण के अनुसार ही प्रथम निविदादाता के साथ अनुबंध संख्या - 56/EE/JJM/2020-21 गठित किया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना विभाग की ही ज़िम्मेदारी थी। यह भी कि यदि CWR के निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं थी तो भी शाखा द्वारा CWR के अतिरिक्त सभी मदों को अनुबंध संख्या - 16/SE/2018-19 के अंतर्गत निम्न दरों पर संपादित कराया जाना चाहिए था। परंतु शाखा द्वारा CWR के निर्माण के अतिरिक्त '15' अन्य मदों को भी अधिक दरों पर अनुबंध संख्या - 56/EE/JJM/2020-21 में सम्मिलित कर कार्य संपादित कराया जा रहा था जिसके कारण रुपये 3.74 लाख का अधिक व्यय होने की संभावना थी।

V – उपरोक्त योजना के अनुमोदित प्राक्कलन में मुख्य सप्लाई तथा वितरण प्रणाली हेतु 15 एम.एम. व्यास के पाईप का कोई भी प्रविधान नहीं किया गया था। परंतु उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि शाखा द्वारा उक्त योजना के सम्पादन हेतु गठित अनुबंध संख्या-15/EE/JJM/2019-20 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही वितरण प्रणाली

हेतु 15mm व्यास पाईप का प्रविधान कर 2731.80 मीटर (₹ 3.85 लाख) कार्य संपादित कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि जल जीवन मिशन से अंतर्गत घर-घर नल के संयोजन 15 एम.एम. व्यास के पाईप से ही दिया जाना था जोकि प्राक्कलन अनुमोदन के बाद शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कराये गये थे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शाखा द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल से संयोजन 15 एम.एम. व्यास के पाईप से दिये जाने के संबंध में शासन या सक्षम स्तर से जारी किए गये निर्देशों के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये थे जिससे प्रतीत होता था कि शाखा द्वारा अपने स्तर से ही स्वीकृत से कम व्यास के पाईप से कार्य संपादित कराया गया था जोकि अनियमित था।

अत: विभाग द्वारा अनावश्यक मदों को प्राक्कलन में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप शासकीय धन रुपये 10.64 लाख का अवरुद्ध रहना, परिहार्य व्यय रुपये 7.51 लाख तथा अनियमित कार्य निष्पादन रुपये 3.85 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक - I

S. No.	Head No.	Item	Unit	Total quantity to be executed as per Estimate	Executed under		Difference
					16/SE @ ₹	15/EE @ ₹	
1	4.1	RR 1:6 Stone Masonry	Cum	125.37	116.58 @3020	35.00 @3250	8050.00
2	4.2	RR Dry	Cum	112.82	10.12 @1830	35.77 @2018	6724.76
3	5.1	SCLJF&T Pipe 20mm	Mtr	3060.00	394.60 @152	1541.10 @170	27739.80
4	5.2	25 mm	Mtr	2280.00	1909.56 @196	538.50 @245	26386.50
5	5.3	32 mm	Mtr	1126.00	363.00 @210.00	398.00 @310	39800.00
6	5.4	40 mm	Mtr	1045	304.60 @275.00	900.00 @355	72000.00
7	6.1	Excavation SMB	Cum	5777.00	3073.56 @156.00	1213.35 @199	52174.05
8	6.2	Excavation MR	Cum	1444.00	298.01 @302.00	184.35 @352	9217.50
9	11.1	CC Road Cutting	Cum	90	153.59 @602.00	84.94 @1800	101758.12
10	12.2	Making of CC Road	Cum	90	119.80 @5100.00	72 @5378	20016.00
Total							363866.7

अनुलग्नक – II

S. No.	Head No.	Item	Unit	Total quantity to be executed as per Estimate	Executed under 16/SE @₹	To be executed under 56/EE @₹	Difference
1	2	Roughening Filter	No.	1	Nil	2 @65142	130284.00
2	4.1	RR 1:6 Stone Masonry	Cum	125.37	116.58 @3020	70.00 @3256.90	16583.00
3	4.2	RR Dry	Cum	112.82	10.12 @1830	90.00 @2008	16020.00
4	5.1	SCLJF&T Pipe 20mm	Mtr	3060.00	394.60 @152	100 @170	1800.00
5	5.2	25 mm	Mtr	2280.00	1909.56 @196	100 @244	4800.00
6	5.3	32 mm	Mtr	1126.00	363.00 @210.00	200 @308	19600.00
7	5.4	40 mm	Mtr	1045	304.60 @275.00	300.00 @353	23400.00
8	5.5	50 mm	Mtr	2525.00	1003.16@380.00	200.00 @462	16400.00
9	5.6	65 mm	Mtr	3680.00	1934.25@495.00	200.00 @579	16800.00
10	5.8	100 mm	Mtr	7820.00	6610.87 @880.00	300.00 @1051	51300.00
11	6.1	Excavation SMB	Cum	5777.00	3073.56 @156.00	432.00 @197	17712.00
12	6.2	Excavation MR	Cum	1444.00	298.01 @302.00	144.00 @350	6912.00
13	8.1	Sluice/ Wheel Valve	No.	15	7 @7200	11 @8775	17325.00
14	9.1	RCC CWR 50.00 KL	No.	1	Nil @370000.00	1 @388000.00	18000.00
15	11.1	CC Road Cutting	Cum	90	153.59 @602.00	10.00 @1837	12350.00
16	12.2	Making of CC Road	Cum	90	119.80 @5100.00	10 @5612	5120.00
Total							374406.00

भाग II-'ब'

प्रस्तर 4 : राजकीय वाहन प्रयोग करने पर संबन्धित अधिकारी से `49,600/- की कम वसूली किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 84/XXVII(7)50(06)/2017 दिनांकित 07.06.2017 के अनुसार यह आदेश जारी किए गए थे कि प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है को 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक वाहन का प्रयोग करने पर दिनांक 01 मई 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु `2,000/- की धनराशि संबन्धित अधिकारी से प्राप्त कर राजकोष के यथानिर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या 134/वि. अनु. – E-5/01 दिनांक 18.01.2020 के माध्यम से उपरोक्त शासनादेश को पेयजल निगम में लागू करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त वर्णित शासनादेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि श्रीमती मिशा सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह जुलाई 2017 से वर्तमान तक राजकीय वाहन का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त शासनादेशानुसार श्रीमती मिशा सिन्हा के वेतन से माह जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान 31 माह हेतु `2,000/- प्रतिमाह की दर से `62,000/- की वसूली कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी थी परन्तु उनके वेतन से `400/- प्रतिमाह की दर से केवल `12,400/- की ही वसूली की गई जिसके कारण उनके वेतन से `49,600/- की कम वसूली की गई थी।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा राजकीय वाहन के प्रयोग हेतु संबन्धित अधिकारी के वेतन से जो कटौतियाँ की जा रही थीं उन्हें इकाई द्वारा संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराने की बजाय इकाई द्वारा स्वयं ही व्यय किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पेयजल निगम में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2020 से लागू किया गया था अतः उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की गईं थीं। `49,600/- की अवशेष वसूली के सम्बंध में इकाई ने बताया कि यह लागू नहीं है। उपरोक्त कटौतियों को संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा न कराये जाने के सम्बंध में इकाई ने बताया कि संबन्धित कटौती को प्रधान कार्यालय अथवा राजकोष में जमा कराये जाने सम्बन्धी कोई भी आदेश प्रधान कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या 134/वि. अनु. – E-5/01 दिनांक

18.01.2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 84/XXVII(7)50(06)/2017 दिनांकित 07.06.2017 को ज्यों का त्यों पेयजल निगम में लागू किया गया था तथा यह भी स्पष्ट किया गया था उक्त वर्णित शासनादेश के अनुसार ही तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके कारण संबन्धित अधिकारी के वेतन से `49,600/- की कम वसूली की गई थी तथा उपरोक्त कटौतियों को संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराने की बजाय स्वयं ही व्यय किया गया था जोकि इकाई द्वारा बरती जा रही वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर: (5) - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि कुल ` 1.84 लाख का कम अंशदान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा,उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान कम मिल रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल छ: कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि रु 184383.00/- का कम अंशदान किया गया ।** (छ: <u>कार्मिकों के कम अंशदान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 1)</u>

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: <u>अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अंशदान की गई</u> **धनराशि रु 184383.00/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या
94/2005-06	शून्य	01,02
202/2015-16	01	01,02,03
106/2019-20	01	01,02,03,04,05

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. मिशा सिन्हा	अधिशासी अभियन्ता	01.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/16 दिनांकित 02.02.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाये।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)